

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा, राजस्थान**

13

क्रमांक- जिशिअ/प्राशि/दौसा/स्वधोषणा पत्र/फा-मान्यता/2012/6402 दिनांक- 25/2/13

सम्बन्धी संविद

एम. इन्टरनेशनल स्कूल

दौसा

विषय- नियम 8 क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 21/1/12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये परवातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.दौसा(विद्यालय का नाम और पता) को 2012-13 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए

कक्षा एले. I से III तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा- 8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बन्धता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्ण विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पढीस के कमजोर वर्ग और अभाव घरत समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

- > विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- > कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।
- > किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
- > प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- > 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोग्यता/दिशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये।
- > अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित गती किये जायें।

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तु उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

*(Handwritten signatures and stamps)*

अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) के अंतिम विनिर्दिष्ट शर्तों का निर्वाह करते हैं। और

➤ अध्यापक स्वयं की निजी अध्यापन शिक्षाकृतियों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकतम पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

6. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट नाम और मानकों का अनुसरण करेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की सभी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :- (संस्था को द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिट्टी-डे नील पकाने के लिए रसोई
- अद्वितीय मुक्त पहुँच
- अध्यापन विज्ञान सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

8. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उन्नी नाम से कोई नए कल्पना प्राप्त किया नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं एक मैदान कोमल शिक्षा और वीक्षण विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाएंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1980 (1980 का संघीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रेशन किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/DA/2012-13/RTE/...D.O.9.7.....) है।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निवेदन, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यक्रम में सुधारों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किए जायें।

16. जिलाधिकारी के रजिस्ट्रेशन का सर्वेक्षण यदि कोई है, सुनिश्चित करें।

17. अन्य सभी संलग्न परिशिष्टों के अनुसार है।

Principal

Frame International School  
Deesa

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा संसद